न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–364/2019

शेख याहिया.....वादी

बनाम

शेख अब्दुल मजीद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

01.02.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 13.10.2020 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 के तहत दाखिल किया गया है। जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से दिनांक 03.11.2020 को दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी से पता चला कि प्रतिवादी संख्या–2 ने खेसरा न0–249 की 9 कट्ठा 19 धुर भूमि पर बयदार होने की दावा किया है तथा तीन किता बयनामा दस्तावेज का ज़िक किया है। उक्त बयनामा दस्तावेज की जानकारी वादी को नहीं था। इसलिए जानकारी के पश्चात् उक्त बयनामा के संबंध में अनुतोष की मांग करना आवश्यक है। साथ ही वादपत्र में कुछ शब्द गलत टाईप हो गया है इसलिए उसको भी सुधारना आवश्यक है। यह कि इस संशोधन से वाद के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा तथा प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः उक्त संशोधन आवेदन स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी संख्या–1 का अपने प्रतिउत्तर में कहना है कि प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं तथा खारिज होने योग्य है। यह कि प्रस्तुत वाद में दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन के सुनवाई के संबंध में जो कमियाँ वादी को पता चला इसलिए उनको सुधारने हेतु संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। यह कि यदि संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो वाद का कारण बदल जायेगा, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन खारिज किया जाए।

प्रतिवादी संख्या–2 का अपने प्रतिउत्तर में कहना है कि संशोधन आवेदन पोषणीय नहीं है। यह कि वादी का कहना गलत है कि प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी से उक्त बयनामा के बारे में पता चला वादी को उक्त बयनामा की जानकारी पहले से ही है। यह कि वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संबंध में एडभोरलम न्याय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उनका आवेदन खारिज किया जाए।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसका उल्लेख वादपत्र की अनुसूची–3 में किया गया है, पर अपने अधिकार, स्वत्व की घोषणा, दखल कब्जे की पुष्टि के साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा एवं बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 08.02.1974 एवं बयनामा दस्तावेज दिनांक 03.09.2012, तरमीमनामा दिनांक 24.06.2019 को जाली फरेबी घोषित करने हेतु लाया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा वादी द्वारा अपने आवेदन द्वारा वादपत्र में जिन तथ्यों को जोड़ना चाहता है वह औपचारिक प्रकृति का है तथा उससे वाद के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही प्रतिवादीगण को कोई क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन न्यायहित में 500/– रू0 हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे विधिक समय–सीमा के अंतर्गत वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें। संशोधन पश्चात् सिरिस्तेदार को निर्देश दिया जाता है कि वे संशोधन के आलोक में न्याय शुल्क के संबंध में अपना प्रतिवेदन समर्पित करें। प्रतिवादीगण को यह

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–364/2019

शेख याहिया.....वादी

बनाम

शेख अब्दुल मजीद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार दिनांक 01.02.2021

स्वत्रतंता होगी कि यदि वे चाहे तो संशोधन के आलोक में अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते है। वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23.02.2021 को अभिलेख प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)